

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांक: एफ.3(13) III-ए/निर्वा/2013/1417

जयपुर, दिनांक 30.04.2013

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय : मतदाता सूचियों की अद्यतन प्रक्रिया के अन्तर्गत फर्मों को रिकोर्ड उपलब्ध कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मतदाता सूची 2013 के दिनांक 21.1.2013 को अन्तिम प्रकाशन के उपरान्त मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने, विलोपन करने एवं संशोधन करने के आधार पर पूरक 2 तैयार किया जाना है। इसके लिए पूर्व की फर्मों को आदेश दिये जा चुके हैं, जिसकी सूचना आपको दी जा चुकी है। अनुबंधित फर्मों के साथ दिनांक 30 अप्रैल, 2013 को अद्यतन प्रक्रिया के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों एवं एकत्रित किये गये फोटो भेजने की प्रगति की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि जिले से नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधन की सूचियाँ, फार्म 6 एवं एकत्रित फोटोज् समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उनको नहीं भेजे गये हैं।

अतः निर्देशानुसार आपसे अनुरोध है कि दिनांक 02 मई, 2013 को उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ निम्न रिकोर्ड प्रेषित कर दें—

1. दिनांक 31 मार्च, 2013 तक जोड़े, हटाये एवं संशोधन नामों की सूचियाँ यदि पूर्व में प्रेषित नहीं की गयी है, तो साथ लेकर आवें।
2. फोटो मुद्रित करने हेतु दिनांक 31.3.2013 तक निर्णित फार्म 6 एवं एकत्रित किये गये फोटोज् साथ लेकर आवें।
3. फार्म 6 प्रेषित करने से पूर्व उन पर वह क्रम संख्या अंकित करावें जो क्रम संख्या नाम जोड़ने हेतु तैयार की गयी सूची में है।
4. एकत्रित फोटोज् जिस प्रपत्र में भेजी जा रही है वह निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं कवरिंग पत्र के साथ होनी चाहिए।

उपरोक्त रिकार्ड को संबंधित फर्म को उसी दिन उपलब्ध कराकर उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रशिक्षण के समय पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

भवदीय,

(पी0सी0गुप्ता)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।